

LOK SABHA DEBATES

Vol. I] First Day of the First Session of the Second Lok Sabha [No. 1

LOK SABHA

Friday, 10th May, 1957

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[SPEAKER *Protem* (SETH GOVIND DAS) in the Chair]

HOMAGE TO MARTYRS OF 1857

श्री बृज नारायण (शिवपुरी) : अध्यक्ष जी, मेरी प्रार्थना है कि यदि सदन का कार्य प्रारम्भ कर से पहले सन् १८५७ की दुहात्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की जाये तो बड़ा सुन्दर होगा ।

अध्यक्ष महोदय : आज की कार्यवाही मेरे द्वारा हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगी ।

Mr. Speaker: Today's proceedings will be conducted by me both in Hindi and English.

अध्यक्ष महोदय : आज हम एक महत्वपूर्ण अवसर पर एकत्रित हुए हैं । संविधान के अन्तर्गत नई लोक-सभा निर्वाचित हुई है जिस के ऊपर देश और जनता के कल्याण का महान् और गुरुतर उत्तरदायित्व है ।

हम आज ऐतिहासिक घटना की उस पुण्य तिथि को भी एकत्रित हो रहे हैं जो इसी दिन एक सौ वर्ष पूर्व घटित हुई थी ।

यह उचित और ठीक ही है कि अपनी कार्यवाही प्रारम्भ करने में पहले हम सब दो मिनट तक मौन खड़े रहें ।

Mr. Speaker: We meet today on a solemn occasion. A new House has been elected under the Constitution, charged with great and heavy res-

ponsibilities for the welfare of the country and our people.

We meet also on the anniversary of a historic event which occurred one hundred years ago today.

It is fit and proper that we all stand in silence for two minutes before we begin our proceedings.

(The Members then stood in silence for two minutes)

PANEL OF CHAIRMEN

अध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को यह सूचित करना है कि प्रक्रिया नियमों के नियम ६ के अन्तर्गत मैंने पंडित ठाकुरदास भागवत और श्री फ्रैंक एन्थनी को सभापति तालिका का सदस्य नियुक्त किया है ।

Mr. Speaker: I have to inform the House that under Rule 9 of the Rules of Procedure, I have appointed Pandit Thakur Das Bhargava and Shri Frank Anthony as Members of the Panel of Chairmen.

MEMBERS SWORN

अध्यक्ष महोदय : जिन सदस्यों को शपथ लेनी है या प्रतिज्ञान करना है उनके नाम अब सचिव द्वारा एक एक कर के पुकारे जायेंगे । पहले प्रधान मंत्री को बुलाया जायेगा और उसके बाद श्री अनन्तशयनम् अय्यंगार को । तत्पश्चात् मंत्रियों और उपमंत्रियों के नाम पुकारे जायेंगे । उसके बाद सभापति तालिका के सदस्यों के और फिर अन्य सदस्यों के नाम राज्यवार वर्णानुक्रम से पुकारे जायेंगे । जो सदस्य पहली बार पुकारे जाने पर शपथ न ले सकेंगे या प्रतिज्ञान न कर सकेंगे, उन को अन्त में बुलाया जायेगा ।